संख्याः 895/XVII(4)/2019-02/2009-TC

प्रेषक,

सौजन्या,
सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

निदेशक,
महिला सशक्तिकरण एवं बाल विकास विभाग,
उत्तराखण्ड देहरादून।

महिला सशक्तिकरण एवं बाल विकास अनुभाग–1, देहरादूनः दिनांक 27 अगस्त, 2019

विषयः– "नन्दा गौरा योजना" के कियान्वयन हेतु 01 जुलाई, 2017 से छूटे हुये लाभार्थियों को लाभान्वित किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदया,

उपर्युक्त विषयक शासन के पत्र संख्या–1082/XVII(4)/2017-02/2009-TC दिनांक 15.06.2017 द्वारा महिला सशक्तिकरण एवं बाल विकास तथा समाज कल्याण विभाग में कन्याओं हेतु संचालित विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं की एकीकृत कर "नन्दा गौरा योजना" प्रारम्भ की गई है। उक्त योजना के अन्तर्गत अधिक से अधिक पात्र लाभार्थियों को लाभान्वित किये जाने हेतु कार्यालय ज्ञाप संख्या–587/XVII(4)/2017-02/2009-TC दिनांक 12.06.2019 के प्रस्तर–3 में वर्ष 2018-19 में विशेष कारणवश छूटे हुए बालिकाओ/लाभार्थियों को वर्ष 2019-20 में लाभान्वित किये जाने हेतु आवेदन पत्र परियोजना कार्यालय में जमा करने की अंतिम तिथि 31.07.2019 तक विस्तारित की गई थी।

2– अतः इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि "नन्दा गौरा योजना" के कियान्वयन हेतु 01 जुलाई, 2017 से छूटे हुये लाभार्थियों/बालिकाओं को लाभान्वित किये जाने हेतु उक्त कार्यालय–ज्ञाप दिनांक 12.06.2019 के प्रस्तर–3 में लाभार्थियों/बालिकाओं को लाभान्वित किये जाने हेतु आवेदन पत्र परियोजना कार्यालय में जमा करने की निर्धारित अंतिम तिथि 31.07.2019 के स्थान पर दिनांक 30.11.2019 तक विस्तारित की जाती है।

उक्त शासनादेश को इस सीमा तक संशोधित समझा जाय, अन्य शेष शर्तें यथावत् रहेंगी।

भवदीया

Sanjana

(सौजन्या)
सचिव।

संख्या– 895(1)/XVII/2019-02/2009-TC तद्दिनांकित

प्रतिलिपिः–निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1. सचिव, श्री राज्यपाल, उत्तराखण्ड।
2. निजी सचिव, मा0 मुख्यमंत्री जी, उत्तराखण्ड शासन।
3. निजी सचिव, मुख्य सचिव, उत्तराखण्ड शासन।
4. समस्त अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव/सचिव, उत्तराखण्ड शासन।
5. महालेखाकार, उत्तराखण्ड ओबरॉय बिल्डिंग, देहरादून।
6. मण्डलायुक्त गढ़वाल मण्डल पौड़ी/कुमायू मण्डल, नैनीताल।
7. समस्त जिलाधिकारी/मुख्य विकास अधिकारी, उत्तराखण्ड।
9. निदेशक, कोषागार एवं वित्त सेवाएं उत्तराखण्ड देहरादून।
10. समस्त महाप्रबन्धक/प्रबन्धक, बैंकिग सेवायें, उत्तराखण्ड।
11. समस्त मुख्य चिकित्साधिकारी, उत्तराखण्ड।
12. समस्त मुख्य/वरिष्ठ कोषाधिकारी, उत्तराखण्ड।
13. समस्त मुख्य शिक्षा अधिकारी, उत्तराखण्ड।
14. समस्त जिला समाज कल्याण अधिकारी, उत्तराखण्ड।
15. समस्त जिला कार्यक्रम अधिकारी, आई0सी0डी0एस0, उत्तराखण्ड।
16. एन0आई0सी0 सचिवालय परिसर, देहरादून।
18. गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

27/08/19

(झरना कमठान)
अपर सचिव।